न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/25/2026 दायर दिनांक:–30.03.2026 रजि0 न0 2026/52

अपीलार्थी:–	प्रत्यर्थी:–
श्री अमर चन्द मीना, नि. जे–77, तीसरा तल, पर्यावरण कॉम्पलेक्स, इगनू रोड, नई दिल्ली–110068	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर), जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 20.04.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 30.01.2026 के परिपेक्ष्य में मिली सूचना से असंतुष्ट होने पर यह अपील पेश की है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 13.04.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक लो०स०अ०/प्रथम अपील/2026/680 दिनांक 20.04.2026 से अवगत कराया है कि प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 30.01.2026 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 264–65 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा प्रार्थी को रजिस्टर डाक के माध्यम से संसूचित किया जा चुका है। पुनः पत्रांक/लो.सू.अ./प्रथम अपील/2026/681 दिनांक 20.04.2026 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्र सं. लो०स०अ०/प्रथम अपील/2025/680 दिनांक 24.02.2026 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी के पत्रांक 264–65 दिनांक 24.02.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 20.04.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर